


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- ❶ अन्त्योदय अन्य योजना – 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- ❷ पात्र गृहस्थी योजना – 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- ❸ उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रु०-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रु०-03 कि०ग्रा० की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- ❶ कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- ❷ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- ❸ जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



**खाद्य तथा रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
जनपद : लखनऊ**

राशन कार्ड क्रमांक : **115740897197**
टाउन : **LUCKNOW (M CORP.)**
मुखिया का नाम : **रुकसाना बानो**
पिता / पति का नाम : **इस्माइल**
श्रेणी/जाति : **पिछड़े वर्ग**
निवास का पता : **20, RAJIV NAGAR GHOSIYANA KHARIKA TELIBAGH Lucknow(M Corp)- 226002**
आधार /इनरोलमेंट नं० : **XXXX XXXX**
गैस ग्राहक कनेक्शन सं० :
गैस एजेंसी का नाम :
उचित दर दुकान : **Virendra Kumar Gupta**
यूनिटों का विवरण : **6 (six)**

दिनांक : 21-05-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड
IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP, Print at :

परिवार की सदस्यों की सूची

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	रुकसाना बानो	इस्माइल	स्वयं
2	महबूब	मो	सौहर / पति
3	अमीन	महबूब	बेटा
4	मोमीन	महबूब	बेटा
5	रुक्सार	महबूब	बेटी
6	फैसल	महबूब	बेटा